प्रेसनोट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना शमशाबाद पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रान्च टीम द्वारा फाइनेन्स कर्मियों के रूपयों से भरे बैग की चोरी कर ले जाने एवं डकैती की योजना बना रहे 09 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये रूपयों में से रू0 55,070/- व अन्य सामान बरामद...

घटना का विवरण :-

दिनांक 24.06.2021 को वादी यशपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 नगला गूजर थाना मलपुरा द्वारा थाना शमशाबाद पर तहरीर दी गयी कि मैं भारत फाइनेन्स लिमिटेड शमशाबाद रोड में ब्रान्च मैनेजर के पद पर तैनात हूं। दिनांक 23.06.2021 को कम्पनी के कर्मचारी नरेन्द्र पुत्र कल्यान सिंह व श्रीओम पुत्र कप्तान सिंह अपने फील्ड से कलैक्शन करके लौट रहे थे। उनके द्वारा जानकारी दी गयी कि गढी जहान सिंह मोड़ पर दो अज्ञात युवक हमसे झपट्टा मारकर रू0 1,35,000/- रूपयों से भरा बैग छीनकर ले गये हैं। मौके पर जाकर जानकारी की गयी तो उन्होंने बताया कि नरेन्द्र खेत में पड़ी चारपाई पर लेटा हुआ था व श्रीओम बैठा हुआ था एंव बैग हमारे सिरहाने रखा हुआ था। बैग को उठाकर एक लड़का भाग गया। पता चलने पर हम पीछे भागे किन्तु वह मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 159/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी/पश्चिमी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष शमशाबाद को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 02.07.2021 को को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि एक सक्रिय चोर/लूटेरों का गिरोह ग्राम खेड़ा गढ़ी जहान सिंह के बीच एलन पब्लिक स्कूल के पीछे खाली खेत में नीम के पेड़ के पास एकत्रित होकर मय असलाह के डकैती की योजना बना रहे हैं। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

पुलिस टीम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण :-

मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। स्कूल के पास पहुंचकर छुपकर देखा कि कुछ लोग मोटरसाइकिल व कुछ लोग जमीन पर बैठे थे और कह रहे थे कि चोरी करते हुए बहुत दिन हो गये हैं अब कुछ बड़ा करते हैं, की कहते हुए डकैती की बात कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देख सभी भागने लगे और जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। पुलिस टीम द्वारा साहस के साथ अपना बचाव करते हुए चारों ओर से घेरघोट कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से रू0 55,070/–, 01 सैमसंग टैबलेट टूटा हुआ, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 08 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस, 02 अवैध चाकू बरामद हुए। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 139/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (अरविन्द पाठक उर्फ छोटू पण्डित), मु0अ0सं0 173/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (सौरभ भारद्वाज), मु0अ0सं0 167/21 धारा 399/402/307 भादवि, मु0अ0सं0 170/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (सूरज), मु0अ0सं0 171/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (आदित्य शर्मा), मु0अ0सं0 168/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (साजिद उर्फ भोला) पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 01–साजिद उर्फ भोला पुत्र इस्लाम, 02–अरविन्द पाठक उर्फ छोटू पण्डित, 03–सूरज पुत्र सुभाषचन्द्र, 04–आदित्य शर्मा पुत्र हरीओम, 05–साहिल शेख पुत्र नैसे, 06–मुनेश कुमार पुत्र रतनपाल, 07–रवि पाठक पुत्र रामजी पाठक, 08–सौरभ भारद्वाज पुत्र दिनेश भारद्वाज व 09–भानू पुत्र रोशनलाल बताया गया। इकट्ठा होने का कारण पूछने पर बताया गया कि हम लोग आपस में दोस्त हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मौका देखकर चोरी करते हैं एवं सुनसान इलाकों में रैकी करते हुए लूट व डकैती को अंजाम देते हैं।

बरामद रूपयों और टैबलेट के बारे में बताया कि दिनांक 23.06.2021 को गढी जहान सिंह मोड़ के पास चाय पाने के खोखे के पास से दो फाइनेन्स कर्मियों के पास से उनका बैग जो चारपाई पर रखा हुआ था, हमने चोरी कर लिया था। उसमें रखे रूपयों को हमने आपस में बांट लिया और टैबलेट ऑन नहीं हो रहा था तो पकड़े जाने के डर से हमने इसे तोड़ दिया था। बैग में मिले रूपयों को हमने खर्च कर लिया एवं बरामद रूपये उन्हीं रूपयों में से शेष बचे हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

01. साजिद उर्फ भोला पुत्र इस्लाम नि0 अकिल खान का किराये का मकान टेढी बगिया सौ फुटा रोड ट्रान्सफार्मर के सामने थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. अरविन्द पाठक उर्फ छोटू पण्डित नि0 ब्लॉक एच कानिन्द्री विहार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
03. सूरज पुत्र सुभाषचन्द्र नि0 ग्राम खेड़ा मौजा हिरनेर थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
04. आदित्य शर्मा पुत्र हरीओम नि0 ग्राम खेड़ा मौजा हिरनेर थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
05. साहिल शेख पुत्र नैसे नि0 गली न0 5 तीसरी मस्जिद के पास इस्लाम नगर थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
06. मुनेश कुमार पुत्र रतनपाल नि0 कृष्णा बाग कालौनी थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
07. रवि पाठक पुत्र रामजी पाठक नि0 नि0 ब्लॉक एच कानिन्द्री विहार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
08. सौरभ भारद्वाज पुत्र दिनेश भारद्वाज नि0 न्यू आदर्श कालौनी पचौरी मैडिकल स्टोर के पीछे थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
09. भानू पुत्र रोशनलाल नि0 ग्राम खेड़ा मौजा हिरनेर थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. रू0 55,070/–।
02. 01 सैमसंग टैबलेट टूटा हुआ।
03. 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 08 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस।
04. 02 अवैध चाकू।
05. 03 अदद मोटरसाइकिल चोरी में प्रयुक्त।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

- **साजिद उर्फ भोला :–**

01. मु0अ0सं0 299/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
02. मु0अ0सं0 395/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
03. मु0अ0सं0 408/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
04. मु0अ0सं0 409/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
05. मु0अ0सं0 770/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
06. मु0अ0सं0 825/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
07. मु0अ0सं0 873/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
08. मु0अ0सं0 940/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
09. मु0अ0सं0 941/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
10. मु0अ0सं0 946/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
11. मु0अ0सं0 990/19 थाना एत्माद्दौला आगरा।
11. मु0अ0सं0 228/19 थाना खंदौली आगरा।
12. मु0अ0सं0 58/18 थाना सिकन्दरा आगरा।
13. मु0अ0सं0 327/18 थाना सिकन्दरा आगरा।
14. मु0अ0सं0 328/18 थाना सिकन्दरा आगरा।
15. मु0अ0सं0 993/19 थाना सिकन्दरा आगरा।
16. मु0अ0सं0 159/21 धारा 379 भादवि थाना शमशाबाद आगरा।
17. मु0अ0सं0 168/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद आगरा।

- **अरविन्द पाठक उर्फ छोटू :–**

01. मु0अ0सं0 611/20 थाना एत्माद्दौला आगरा।
02. मु0अ0सं0 232/20 थाना खंदौली आगरा।
03. मु0अ0सं0 341/20 थाना ताजगंज आगरा।
04. मु0अ0सं0 159/21 धारा 379 भादवि थाना शमशाबाद आगरा।
05. मु0अ0सं0 139/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (अरविन्द पाठक उर्फ छोटू पण्डित)।
06. मु0अ0सं0 167/21 धारा 399/402/307 भादवि थाना शमशाबाद आगरा।

- **रवि पाठक पुत्र रामजी पाठक :–**

01. मु0अ0सं0 384/14 थाना मलपुरा आगरा।
02. मु0अ0सं0 247/20 थाना खंदौली आगरा।
03. मु0अ0सं0 159/21 धारा 379 भादवि थाना शमशाबाद आगरा।
04. मु0अ0सं0 167/21 धारा 399/402/307 भादवि थाना शमशबााद आगरा।

- **अन्य अभियुक्तगण :–**

01. मु0अ0सं0 159/21 धारा 379 भादवि थाना शमशाबाद आगरा।
02. मु0अ0सं0 173/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (सौरभ भारद्वाज) थाना शमशाबाद।
03. मु0अ0सं0 167/21 धारा 399/402/307 भादवि थाना शमशबाद।
04. मु0अ0सं0 170/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (सूरज) थाना शमशाबाद।
05. मु0अ0सं0 171/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (आदित्य शर्मा) थाना शमशाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

01. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस जनपद आगरा।
02. थानाध्यक्ष श्री राजकुमार गिरि थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार आर्य थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
05. उ0नि0 अमित कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
06. प्र0उ0नि0 शशांक राणा थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
07. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
08. प्रशि0उ0नि0 रजनीश कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
09. हे0का0 आदेश त्रिपाठी, हे0का0 करनवीर, हे0का0 दीपक कुमार, हे0का0 अरूण कुमार, हे0का0 प्रशान्त, का0 अजीत, का0 राजकुमार सर्विलांस टीम जनपद आगरा।
10. का0 लोकेश, का0 वशीम, का0 राकुल, का0 मानवेन्द्र, का0 रियाज एसओजी टीम आगरा।
11. का0 हरेन्द्र, का0 ऋषि कुमार, का0 अरविन्द कुमार क्रिमिनल इण्टेलीजेंस टीम आगरा।
12. हे0का0 रविकान्त दुबे, का0 उदयप्रताप, का0 विकास यादव, का0 प्रमोद कुमार, का0 अनिल कुमार, का0 अजीत कुमार, का0 ऋषि कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।